रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112022-240412 CG-DL-E-18112022-240412

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5163] No. 5163] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 18, 2022/कार्तिक 27, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 18, 2022/KARTIKA 27, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2022

का.आ. 5391(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नेचुरल गैस परिवाहन के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा दक्षिण कावेरी परीसंपति संजाल पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन रामनाथपुरम जिला, तमिलनाडु राज्य में बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी, दक्षिण कावेरी परीसंपित संजाल पाइपलाइन, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, फ्लाट नं. 2, बालाजी नगर, कीलकवथुकुडी, सेंथमंगलम तिरुवरूर—610001 तमिलनाडु को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

7695 GI/2022 (1)

अनुसूची

	जिला : रामनाथपुरम		राज्य : तमिलनाडु				
क्रम सं.	गाँव का नाम	तालुक का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल			
				हेक्टर	एयर	व.मी	
1	2	3	4	5	6	7	
1	वलनतारवो 53	रामनाथपुरम	105	00	28	60	
2			104	00	05	50	
3			109	00	27	50	
4			103	00	32	45	
5			101	00	47	85	
6			100	00	20	90	
7			88	00	13	20	
8			99	00	09	90	
9			92	00	22	00	
10			91	00	33	55	

[फा. सं. इएक्सपीएल-11032(11)/86/2022-इएक्सपीएल-1-पीएनजी (इ-44990)] आर. के. क्रील, निदेशक

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2022

S.O. 5391(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Natural Gas Product of Southern Cauvery Asset Pipelines Network should be laid by Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid at Ramanathapuram District in Tamilnadu State, which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to The Competent Authority, Southern Cauvery Asset Pipeline, Oil and Natural Gas Corporation Ltd, Plot No.2, Balaji Nagar, Keelakavathukudi, Senthamangalam ,Thiruvarur-610 001, Tamil Nadu.

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

SCHEDULE

District : Ramanathapuram State : Tamil Nadu							
Sl. No.	Name of Village	Name of Taluk	Survey No.	Area			
51. 140.				Hect	Are	Sq.m	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Valantaravai-53	Ramanthapuram	105	00	28	60	
2			104	00	05	50	
3			109	00	27	50	
4			103	00	32	45	
5			101	00	47	85	
6			100	00	20	90	
7			88	00	13	20	
8			99	00	09	90	
9			92	00	22	00	
10			91	00	33	55	

[F. No. Expl-11032(11)/86/2022-EXPL-I-PNG (E- 44990)]

R. K. KUREEL, Director